



दूरभाष :2300355,2301754
 TELEPHONE: 2300355,2301754
 ई-मेल :ors.gdc soi@gov.in
 E-MAIL :ors.gdc soi@gov.in
 फैक्स :0674-2301418
 FAX :0674-2301418



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
 SURVEY OF INDIA

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय
 ODISHA AND CHHATTISGARH GD
 भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SURVEY OF INDIA
 सर्वे भवन, SURVEY BHAWAN
 पी.ओ.:-आर.आर.लैब, P.O.-R.R. LAB.
 भुवनेश्वर, BHUBANESWAR-751013

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भुवनेश्वर नेमी आदेश संख्या 08 /37-जी-9(प्रशा) दिनांक 16 मई,2024.

ODISHA AND CHHATTISGARH GD'S ROUTINE ORDER NO. 08 /37-G-9(Adm.)DATED 16 MAY, 2024.

1. स्थानान्तरण / तैनाती (TRANSFER/POSTING)

निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण इस कार्यालय में हुआ है / The following staff is transferred in to this office.

| क्रम सं | नाम तथा पदनाम | किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुआ | किस कार्यालय को स्थानान्तरण हुआ | कार्यग्रहण की तिथि | प्राधिकार |
|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Shri Mahendra Bhoi, MTS | M&Ar P GD, Shillong | Odisha & Chhattisgarh GD, Bhubaneswar | 29.04.2024 | भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं स्था.3-1977/1095-MTS Transfer दिनांक-28 मार्च,2024 |

-(2)-

2. पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार ।

दिनांक 29.04.2024 को गठित पुनरीक्षण समिति की सिफारिशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहने के लिए लिए स्वीकार कर लिया है :-

| Sl.No | Name and Designation | Remarks |
|-------|---------------------------|--|
| 1. | Smt Kanti Devi, MTS | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 19-02-2023 से |
| 2. | Shri Sarju Ram, MTS | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 19-03-2024 से |
| 3. | Shri Duryodhan Nayak, MTS | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 06-11-2024 से |

(प्राधिकार: इस निदेशालय का कार्यालय आदेश सं 66/37-जी-8(प्रशासनिक) दिनांक:01-05-2024)

3. एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करना ।

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से और वेतन मैट्रिक्स में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए लागू एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है-

| क्रम सं | नाम तथा पदनाम | प्रथम/द्वितीय/तृतीय उन्नयन | एम.ए.सी.पी के लाभ प्रदान करने की तिथि | वेतन लेवल | प्राधिकार |
|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. | Shri Duryodhan Nayak, MTS | IIInd MACP | 01.03.2024 | Level -3 | S.G's letter सं.सी-1668/1902-एम.ए.सी.पी (ग्रुप 'डी') दिनांक- 06.05.2024 |
| 2. | Smt. Kanti Devi, MTS | IIInd MACP | 01.03.2024 | Level -3 | S.G's letter सं.सी-1668/1902-एम.ए.सी.पी (ग्रुप 'डी') दिनांक- 06.05.2024 |

Cont..Pg.No-(3)

-(3)-

- उपरोक्त कर्मचारी को एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान पर, नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए **FR(22)(I)(क)(1)** के अधीन अपना विकल्प देना होगा तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय ओडिशा जी.डी.सी के वर्ष 2024-25 के संस्वीकृत बजट अनुदान में से पुरा किया जायेगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नाम में डाला जायेगा ।

4. अधिकारी सर्वेक्षक को Non-Functional Scale (NFS) का लाभ / BENEFIT OF NON-FUNCTIONAL SCALE (NFS) TO OFFICER SURVEYOR

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं. J-3859/58-7th CPC दिनांक 12.05.2020 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) नई दिल्ली के पत्र सं एस.एम/04/13/2015 दिनांक 01.05.2020 के पैरा 2(3) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षक को पे मैट्रिक्स लेवल-08 में लगातार 04 वर्षों की सेवा पूरी करने पर पे मैट्रिक्स लेवल-09 में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गये विवरणानुसार Non-Functional Scale (NFS) का लाभ स्वीकृत किया जाता है ।

| क्रम सं. | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पद पर वेतन लेवल | वर्तमान वेतन लेवल की स्वीकृति की तिथि | अपग्रेडेशन की तिथि | NFS में वेतन लेवल |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Shri P.K. Baral, Officer Surveyor | Level-8 | 25.11.2019 | 25.11.2023 | Level-9 |

i. उपरोक्त अधिकारी का विजिलेंस-क्लीयरेंस भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र संख्या विज-145/ 1009-विजी.क्लीरेंस (पंगेह-90) दिनांक- 29 अप्रैल, 2024 के अनुसार सही पाया गया है तथा इनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है और न ही अधिकारी को पिछले 10 वर्षों में कोई दंड दिया गया है ।

ii. उपरोक्त अधिकारी को केवल एक वेतन वृद्धि जो सीसीएस (आरपी) नियम 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में अगली सेल में होगी, प्रदान की जाएगी ।

-(4)-

iii. उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या विज-145/ 1009-विजी.क्लीरेंस (पंगेह-90) दिनांक-29 अप्रैल,2024)

(आशीष कौशल)

निदेशक

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. Web admin भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को इस अनुरोध से सूचनार्थ कि विभागीय Website में नेमी आदेश को दर्शाएँ ।
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु ।